



# पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

## सराहनीय कार्य

दिनांक 12.02.2021

### 1-थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.02.2021 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा 01 वांछित अभि० अमित भाटी पुत्र तेजेन्द्र कुमार नि० ग्राम कैमराला थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को शारदा गोल चक्कर के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नॉलेज पार्क पर पंजीकृत मु०अ०स० 49/2021 धारा 323/504/354 भादवि में वांछित चल रहा था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमित भाटी पुत्र तेजेन्द्र कुमार नि० ग्राम कैमराला थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

### अभियोग का विवरण-

1.मु०अ०स० 49/2021 धारा 323,504,354 भादवि थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।



## 2-थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.02.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभि० सोमिन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी भोगपुर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को ग्राम भोगपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दादरी पर पंजीकृत मु०अ०स० 37/2021 धारा 354 ख भादवि व 7/8 पोस्को अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर में वांछित चल रहा था।

### अभियुक्त का विवरण-

सोमिन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासी भोगपुर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर ।

### अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 37/2021 धारा 354ख भादवि० व 7/8 पोस्को अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर



3-थाना दादरी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 03 गोवंश तस्कर घायल अवस्था में गिरफ्तार,( जिनमें अभि० जमील 25 हजार रूपये का ईनामी है), गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक कार, गोकशी करने के उपकरण व अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 11/12.02.2021 की रात्री को थाना दादरी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 03 गोवंश तस्कर 1. जमील पुत्र सलीम नि० गौदी सराय थाना हापुड देहात हापुड वर्तमान निवासी ढोलक वाली गली पीपल हेडा थाना धोलाना हापुड 2. रिजवान पुत्र इरफान निवासी सिवाल खास थाना जानी मेरठ वर्तमान निवासी ढोलक वाली गली पीपल हेडा थाना धोलाना हापुड 3. वसीम पुत्र करीमुल्ला निवासी गुलावठी थाना गुलावठी बुलन्दशहर वर्तमान निवासी दूधिया पीपल के पास कस्बा व डासना मसूरी गाजियाबाद को

ओमीक्रोन 1 के पास से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किये गये, जिसमें पुलिस द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग के दौरान जमील, रिजवान व वसीम उपरोक्त के पैर में गोली लग गयी थी। जिन्हे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे अवैध अस्लाह व गौकसी के उपकरण बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 06.01.2021 को ग्राम रिठौरी थाना दादरी क्षेत्र के शमशान घाट के पास गोकशी करने की घटना कारित की गयी थी।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/आपराधिक इतिहास**

जमील पुत्र सलीम नि० गौदी सराय थाना हापुड देहात हापुड वर्तमान ढोलक वाली गली पीपल हेडा थाना धोलाना हापुड। (अभि० थाना दादरी से 25 हजार रूपये का ईनाम )

1. मु०अ०स० 10/2021 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०स० 14/2021 धारा 147,148,149,307,34 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०स० 93/2021 धारा 147,148,149,307,34 भादवि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
4. मु०अ०स० 94/2021 धारा 8 गोवध अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
5. मु०अ०स० 97/2021 धारा 25/27 आयुध अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

.रिजवान पुत्र इरफान निवासी सिवाल खास थाना जानी मेरठ वर्तमान निवासी ढोलक वाली गली पीपल हेडा थाना धोलाना हापुड

1. मु०अ०स० 93/2021 धारा 147,148,149,307,34 भादवि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०स० 94/2021 धारा 8 गोवध अधि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०स० 95/2021 धारा 25/27 आयुध अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

.वसीम पुत्र करीमुल्ला निवासी गुलावठी थाना गुलावठी बुलन्दशहर वर्तमान निवासी दूधिया पीपल के पास कस्बा व डासना मसूरी गाजियाबाद

1. मु०अ०स० 93/2021 धारा 147,148,149,307,34 भादवि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
2. मु०अ०स० 94/2021 धारा 8 गोवध अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
3. मु०अ०स० 96/2021 धारा 25/27 आयुध अधि० थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

## बरामदगी का विवरण

1. एक सैन्ट्रो कार यूपी 14 एएफ 3590
2. गोकशी के उपकरण 02 छुरे, 01 बुगदा (गंडासा), 03 सिरिंज मय सूई, 02 इंजैक्सन सीसी (ZINOCAINE-A), 02 रस्सी गोवंश बाँधने के लिये
3. 03 तमंचे 315 बोर मय 06 जिन्दा कारतूस व 03 खोखा कारतूस

4- थाना फेस 2 पुलिस द्वारा लोगो के साथ धोखाधड़ी कर एटीएम के क्लोन बनाकर उनके खातों से मोटी रकम निकाल लेने वाले गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 01 लैपटॉप, 05 ATM CARD रीडर मशीनें, 02 ATM CZRD रीडर मशीन, 02 ग्रीन वॉल कार्ड रीडर, 02 माइक्रो कैमरें सिस्टम, 69 ब्लैक / सामान्य ATM/DEBIT/CREDIT CARD क्लोनिंग यन्त्रों में काम करने की टूल किट व कुल 2,50,000/- रुपये बरामद।

दिनांक 11.02.2021 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा लोगो के साथ धोखाधड़ी कर एटीएम के क्लोन बनाकर उनके खातों से मोटी रकम निकाल लेने वाले गैंग के दो सदस्य 1. फिरोज पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम भनोता थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर 2. सचिन शर्मा पुत्र रोहतास शर्मा निवासी ग्राम तिलपता थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर सैक्टर 110 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

## घटनाओं का विवरण-

दिनांक 16.09.2020 को वादिया द्वारा सूचना दी थी कि उनके एसबीआई एटीएम कार्ड से उनकी बिना जानकारी के 39,000/- रुपये निकाल लिये गये हैं जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 546/2020 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 21.10.2020 को श्री दीपक निवासी सैक्टर 86 नोएडा ने सूचना दी थी कि उनके साथ धोखाधड़ी कर एटीएम बदलकर 25,000/- रुपये निकाल लिये गये हैं इस सूचना पर मु0अ0सं0 627/2020 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 29.10.2020 को श्री सन्दीप सिंह निवासी सैक्टर 80 नोएडा ने सूचना दी कि उनके एटीएम से धोखाधड़ी कर 5500 रुपये निकाल लिये गये हैं जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 645/2020 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया था। दिनांक 25.12.2020 को श्री योगेश भानु निवासी सैक्टर 110 नोएडा ने सूचना दी थी कि उनके एसबीआई एटीएम कार्ड से 47,000/- रुपये अनाधिकृत रूप से निकाले गये हैं इस सूचना पर मु0अ0सं0 762/2020 धारा 420 भादवि अभियोग पंजीकृत हुए थे। वादी मुकदमा श्री सुनील कुमार निवासी भंगेल थाना फेस 2 नोएडा ने दिनांक सूचना 25.11.20 को सूचना दी कि 25.9.2020 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके खाते से एटीएम द्वारा 28304 रुपये निकाले गये हैं। इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 714/20 धारा 420 भादवि, इसके अलावा वादी मुकदमा श्री रिकू कुमार ने दिनांक 27.10.20 को सूचना दी थी कि उनके खाते से किन्ही

व्यक्तियों द्वारा दिनांक 27.08.20 को एटीएम से 22000 रुपये अनाधिकृत रूप से निकाले गये हैं। इस सूचना पर मु0अ0सं0 638/20 धारा 420 भादवि पंजीकृत हुआ था।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

- 1.फिरोज पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम भनोता थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
- 2.सचिन शर्मा पुत्र रोहतास शर्मा निवासी ग्राम तिलपता थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

### **अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-**

- 1.मु0अ0सं0 546/2020 धारा 420 भादवि थाना फेस 2 नोएडा
- 2.मु0अ0सं0 627/2020 धारा 420 भादवि थाना फेस 2 नोएडा
- 3.मु0अ0सं0 645/2020 धारा 420 भादवि थाना फेस 2 नोएडा
- 4.मु0अ0सं0 762/2020 धारा 420 भादवि थाना फेस 2 नोएडा
- 5.मु0अ0सं0 714/2020 धारा 420 भादवि थाना फेस 2 नोएडा
- 6.मु0अ0सं0 638/2020 धारा 420 भादवि थाना फेस 2 नोएडा
- 7.मु0अ0सं0 63/2021 धारा 420,467,468, 471,379,414, 411, 34 भादवि थाना फेस 2 नोएडा

### **बरामदगी का विवरण-**

1. 01 लैपटॉप ,
2. 05 ATM CARD रीडर मशीनें ,
3. 02 ATM CZRD रीडर मशीन ,
4. 02 ग्रीन वॉल कार्ड रीडर ,
5. 02 माइक्रो कैमरें सिस्टम ,
6. 69 ब्लैक / सामान्य ATM/DEBIT/CREDIT CARD
- 7.क्लोनिंग यन्त्रों में काम करने की टूल किट (जिसमें विभिन्न यन्त्र है)
8. कुल 2,50,000/- रुपये



पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर मे पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर के सभी पुलिस अधिकारी एवं पुलिस टीम के सदस्यों द्वारा अपराधियों के विरुद्ध निरंतर रूप से की जा रही है कड़ी कार्यवाही।

अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस टीम के कर्मचारियों के द्वारा गुड वर्क करने पर आज कई पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस टीम के सदस्यों को नगद पुरस्कार राशि से किया गया पुरस्कृत:

विगत सितंबर माह 2020 में फिरौती की घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों के द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए अपराधियों के विरुद्ध की गई थी कार्यवाही, इस घटना को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ₹500000 की धनराशि की घोषणा हुई थी

संबंधित इनाम की धनराशि संबंधित घटना में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस टीम के सदस्यों को पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के द्वारा नगद पुरस्कार से नवाजा गया

दिनांक 27.09.2020 को श्रीमती सुषमा वर्मा निवासी सेक्टर 77 नोएडा थाना सेक्टर 49 नोएडा ने सूचना दी कि मेरे पति दिनांक 26.06.2020 को साय 05.30 से 06.00 बजे के बीच घर का सामान लेने के लिए अपनी होन्डा सिटी कार यूपी 14 बीएस 5235 से सिटी सेन्टर नोएडा गये थे, वापस नहीं लौटे व दिनांक 26.09.2020 को रात 23.00 बजे वादिया के पति के मोबाइल से वादिया श्रीमती सुषमा वर्मा के मोबाइल नम्बर पर काल करके उसके पति ने बताया कि मुझे कुछ अज्ञात लोगो द्वारा पकड कर एक कमरे में बंद कर रखा है और पैसे मांग रहे है। वादिया को एक अन्य से फोन आया जिसमें पुरूष व महिला दोनो की आवाज आ रही थी तथा वह वादिया के पति को छोडने के एवज में 10 लाख रूपये की फिरौती की मांग कर रहे थे तथा पुलिस में सूचना देने पर वादिया के पति को जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। वादिया द्वारा अपने पति को छुडाने के लिए 10 लाख रूपये का इन्तजाम करने का प्रयास किया गया, इन्तजाम न होने पर उसके द्वारा थाना सेक्टर 49 नोएडा पर इस घटना की लिखित तहरीर देकर मु0अ0सं0 802ध 2020 धारा 364ए भादवि0 पंजीकृत कराया गया था।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अपर पुलिस आयुक्त लव कुमार द्वारा उक्त घटना के अनावरण व अपहृत की बरामदगी के लिए पुलिस उपायुक्त नोएडा राजेश एस, अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह तथा सहायक पुलिस आयुक्त विमल कुमार सिंह के नेतृत्व में 03 टीमो का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर घटना का सफल अनावरण किया गया था।

थाना सेक्टर 49 पुलिस व स्टार -2 टीम द्वारा अपहृत सकुशल बरामद, कब्जे से अपहृत व उनकी होन्डा सिटी कार तथा घटना में शामिल मोबाइल फोन बरामद, घटना के सफल अनावरण व अपहृत की सकुशल बरामदगी करने पर अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की पुलिस टीम को 05 लाख रूपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। उक्त उपक्रम में आज दिनांक 12.02.2021 को पुलिस कार्यालय सेक्टर 108 में पुलिस आयुक्त आलोक सिंह द्वारा एडीसीपी नोएडा रणविजय सिंह 50 हजार पुरस्कार, एसीपी-3 नोएडा विमल कुमार सिंह 45 हजार पुरस्कार, निरीक्षक शाबेज खान स्टार-2 टीम 25 हजार पुरस्कार, हैड कांस्टेबल भूपेन्द्र स्टार-2 टीम 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल बाबर स्टार-2 टीम 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल आदित्य स्टार-2 टीम 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल अमरीश स्टार-2 टीम 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल नितिन स्टार-2 टीम 20 हजार पुरस्कार, प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर-49 नोएडा सुधीर कुमार 25 हजार पुरस्कार, उ0नि0 विकास कुमार थाना



सेक्टर 49 को 25 हजार पुरस्कार, उ0नि0 प्रिति मलिक थाना सेक्टर 49 को 25 हजार पुरस्कार, हैड कांस्टेबल प्रभात कुमार थाना सेक्टर 49 को 20 हजार पुरस्कार, हैड कांस्टेबल जय विजय थाना सेक्टर 49 को 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल सुबोध कुमार थाना सेक्टर 49 को 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल संदीप कुमार थाना सेक्टर 49 को 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल अंकित पंवार थाना सेक्टर 49 को 20 हजार पुरस्कार, महिला कांस्टेबल रेनू यादव थाना सेक्टर 49 को 20 हजार पुरस्कार, उ0नि0 नवाशीष कुमार सर्विलाँस सैल 25 हजार पुरस्कार, हैड कांस्टेबल सोनू राठी सर्विलाँस सैल 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल फिरोज खां सर्विलाँस सैल 20 हजार पुरस्कार, कांस्टेबल आदिल सर्विलाँस सैल 20 हजार रूपये के पुरस्कार से सम्मानित कर अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुये किसी भी घटना का सफल अनावरण करने के लिये प्रेरित किया गया। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने इस अवसर पर पुरस्कार पाने वाले सभी अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें आगे भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

